राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–08/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/48
दायर दिनांक– 21.04.2023
निर्णय दिनांक– 03.11.2023

1. प्रेमकंवर पत्नि जसवन्तसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
––प्रार्थिया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थिया
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 1570/845 रकबा 1.2944 है0 भूमि ग्राम करकेड़ी, पटवार हल्का करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थिया की कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुई भूमि पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा नींव सींव मेड़ को लेकर विवाद होते रहते है। प्रार्थिया ने वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी के नाम से करवाये। तत्पश्चात सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने वकील प्रार्थिया व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी । वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिया व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

उपखण्ड अधिकारी 03.11.23
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:39:07 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करकेड़ी के ख0न0 1570/845 रकबा 1.2944 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

03.11.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:39:07 IST
Reason: SelfAttested